रसीदा बनाम फैजा

11-10-22 अभिभाषक अपीलांट् व अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 उपस्थित। अपीलांट् स्वयं ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर जरिये अधिवक्ता दिनांक 07–09–2022 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया कि प्रस्तुत अपील में पक्षकारों के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है। इस कारण अपीलांट् अब अपनी अपील आगे चलाना नहीं चाहते है तथा अपील इसी स्टेज पर विड्रा करना चाहते है। अतः अपील इसी स्टेज पर जरिये विड्रावल निर्णित करने के आदेश प्रदान करावे। प्रार्थिया की पहचान खुदाबक्स पुत्र जिन्देखॉ द्वारा की गई तथा रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता द्वारा विड्रा प्रार्थना पत्र पर अनापत्ति व्यक्त की गई।

प्रस्तुत मामलें में अपीलांट् द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला के आदेश दिनांक 27–09–2021 व सपठित आदेश दिनांक 29–09–2021 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है तथा अब अपीलांट् इस आधार पर अपील विड्रा करना चाहते है कि प्रकरण में लोक अदालत की भावना से पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो चुका है। प्रकरण में चूंकि अपीलाधीन आदेश से अपीलांट् स्वयं ही व्यथित थे व अब वे स्वयं ही उक्त आदेश के विरूद्व प्रस्तुत अपील को विड्रा करना चाहते है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश से संबंधित समस्त आगामी कार्यवाही से अपीलांट स्वयं बाधित है तथा भविष्य में अपीलांट अपने लिखित अभिकथनों से अर्थात रेसज्यूडिकेसा से प्रभावित रहेंगें। लिहाजा अपीलांट् की अपील जरिये विड्रावल खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफतर हो।

(ए.एच.गौरी)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर
सत्यमेव जयते
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर